(9)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 99 / 2021
संजय कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, वार्ड नं0 27, मौहल्ला रेगरान का, स्काईलाईन अस्पताल के पास, झुंझुनूं
पिन कोड 333001, मो0न0 8005931551

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 99 / 2021 पर दिनांक 21.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1745–46 दिनांक 21.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 219 दिनांक 28.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद निवासी वार्ड नं0 27 मौहल्ला रेगरान का स्काईलाईन अस्पताल के पास, झुंझुनूं द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार के तहत सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 214 दिनांक 07.06.2021 को प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 219 दिनांक 28.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद निवासी वार्ड नं0 27 मौहल्ला रेगरान का स्काईलाईन अस्पताल के पास, झुंझुनूं द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार के तहत सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 214 दिनांक 07.06.2021 को प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं